अनुसूचित जनजाति

संख्या ७१/१/६६–रा०ए०

प्रेषक,

श्री पूरन चन्द्र पांडे,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

दिनांक लखनऊ, अप्रैल २५, १९७०।

विषय——उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं में आरक्षण तथा राज्य सेवाओं/पदों में भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के समान सुविधायें प्रदान करना।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।

मुझे आपका ध्यान इस विभाग के शासनादेश संख्या ६५/१७/६६–रा०एकी०, दिनांक २३ अक्तूबर, १९६९ जो समस्त जिला अधिकारियों को सम्बोधित है और जिसकी प्रतिलिपि आपको प्रेषित की गई है, की ओर आकृष्ट करते हुये यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद ३३५ के अधीन अनुसूचित जन-जातियों को केन्द्र अथवा प्रदेश की सेवाओं/पदों में भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के समान ही माना गया है। अतः श्री राज्यपाल ने यह निर्णय किया है कि इस आदेश के जारी होने के दिन से अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों को वे सभी सुविधायें जो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को प्राप्त हैं, यथा (१) सेवाओं में आरक्षण (२) अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा (३) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं/चयनों की फीस में छूट, दी जायं।

२——भविष्य में अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं/पदों में २ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त रहेगा और भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ५ वर्ष की छूट दी जायेगी। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के सम्बन्ध में ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार की एक तिहाई फीस ली जाया करेगी।

३——आरक्षित रिक्तियों के लिये प्रयाप्त संख्या में अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों के प्राप्त न होने पर ऐसी रिक्तियों अनारिक्षत रिक्त्यों के समान समझकर भर्ती उसी समान की जायेगी किन्तु भर्ती के अनुवर्ती अवसरों पर अग्रनीत (carry forward) की जायेगी। इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिये पांच साल की अवधि तक उपलब्ध रक्खा जायेगा। तत्पश्चात् इन रिक्तियों को अनारिक्षत समझा जायेगा।

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना)
उ०प्र०, लखनऊ

४---मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत करायें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निदेश दें ताकि अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सके।

५---यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या ई०-५/१/४००/दस, दिनांक ३ अप्रैल, १९७० में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पूरन चन्द्र पांडे,
सचिव।

संख्या ७१(१)/६९-१-रा०एक०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(१) सचिवालय के समस्त विभाग।
(२) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या जी-२०६५/२२/रूल्स-६८-६९, दिनांक २४ जनवरी, १९७० के सन्दर्भ में।
(३) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(४) सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(५) समस्त आयुक्त/जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(६) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(७) मुख्य मन्त्री, (मन्त्रियों) राज्य मन्त्रियों/उपमन्त्रियों के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक को मन्त्री जी के सूचनार्थ।
(८) गोपन विभाग को उनके अ० शा० पत्र संख्या ३०/२/७०, दिनांक २९ जनवरी, १९७० के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
पूरन चन्द्र पांडे,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०---एल० १ जनरल (जी०ए०)---१९७०---६,५००।